झारखण्ड सरकार

कार्यालय, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, साहेबगंज।

E-mail - drdasah@gmail.com, ddc-sah@nic.in

अति अल्पकालीन पुनर्निविदा आमंत्रण सूचना

मनरेगा अंतर्गत साहेबगंज जिला में बिरसा मुण्डा बागवानी योजना के कार्यान्वयन हेतु लाभुकों के लगभग 13.75 एकड़ भूमि पर आम वृक्षारोपण हेतु प्रयुक्त होने वाले विभिन्न सामग्रियों के क्रय हेतु दर निर्धारण एवं आपूर्ति के संबंध में इस कार्यालय के पत्रांक–1617/जि0ग्रा0 दिनांक–24.05.2018 द्वारा निविदा आमंत्रित किया गया था, जिसमें न्यूनतम निविदादाता द्वारा भाग नहीं लिये जाने के कारण मनरेगा अंतर्गत बिरसा मुण्डा बागवानी योजना के कार्यान्वयन के लिये आम वृक्षारोपण में प्रयुक्त होने वाले सामग्रियों की आपूर्ति हेतु पुनर्निविदा आमंत्रित की जाती है। इस क्षेत्र से संबंधित इच्छुक प्रतिष्ठित आपूर्तिकर्त्ता/पंजीकृत ग्राम संगठन/कृषक उत्पादक समूह/कृषक उत्पादक कंपनी/कृषक कॉपरेटिव (VO/FPO/FPG/FPC/Farmers Co-oprative etc.) सक्रिय हो, से निविदा निम्न वर्णित शर्त्तों के तहत् तकनीकी एवं वित्तीय बीड (दो लिफाफे में सील बंद/मुहरबंद लिफाफा में दिनांक–27/6/18 को 1:00 बजे ~~पूर्वाह्न~~/अपराह्न तक निविदा आमंत्रित की जाती है। प्राप्त निविदा उसी दिन 03:00 बजे अपराह्न में अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में गठित जिला क्रय समिति के समक्ष विकास भवन के सभागार में खोला जायेगा। प्रयुक्त होने वाली सामग्रियों का नाम एवं निविदा की शर्तें जिला के अधिकारिक वेबसाईट www.sahibganj.nic.in पर तथा इस कार्यालय एवं जिला कृषि कार्यालय के सूचना पट्ट पर देखा जा सकता है।

(हस्ताक्षर) 18/6/18

उप विकास आयुक्त–सह–
जिला कार्यक्रमक समन्वयक,
साहेबगज।

झारखण्ड सरकार

कार्यालय, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, साहेबगंज।

E-mail - drdasah@gmail.com, ddc-sah@nic.in

अति अल्पकालीन पुनर्निविदा आमंत्रण सूचना

मनरेगा आयुक्त, ग्रामीण विकास विभाग, झारखंड, रांची के पत्रांक–480/ग्रा0वि0 दिनांक–28.02.2018 के आलोक में साहेबगंज जिला अंतर्गत बिरसा मुण्डा बागवानी योजना के कार्यान्वयन हेतु लाभुकों के लगभग 13.75 एकड़ भूमि पर आम वृक्षारोपण हेतु प्रयुक्त होने वाले विभिन्न सामग्रियों के क्रय हेतु दर निर्धारित किया जाना है। इस क्षेत्र से संबंधित इच्छुक प्रतिष्ठित आपूर्तिकर्त्ता/पंजीकृत ग्राम संगठन/कृषक उत्पादक समूह/कृषक उत्पादक कंपनी/कृषक कॉपरेटिव (VO/FPO/FPG/FPC/Farmers Co-oprative etc.) सक्रिय हो, से निविदा निम्न वर्णित शर्त्तो के तहत् तकनीकी एवं वित्तीय बीड (दो लिफाफे में सील बंद/मुहरबंद लिफाफा में दिनांक–27.6.18 को 1.00 बजे ~~पूर्वाह्न~~/अपराह्न तक निविदा आमंत्रित की जाती है। प्राप्त निविदा उसी दिन 03:00 बजे अपराह्न में अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में गठित जिला क्रय समिति के समक्ष विकास भवन के सभागार में खोला जायेगा। सामग्री की विवरणी निम्नवत है :–

क्र0 सं0	विवरणी
1-	केंचुआ खाद
2-	नीम/करंज खल्ली
3-	Bone Meal/SSP
4-	Dolomite
5-	Mancozeb + Carbendazin
6-	Copper Oxychloride or any other suitable fungicides
7-	Trichoderma
8-	Quinalphos/ Chloropyriphos
9-	Furadon 3G/Fenvalrate
10-	Biflex
11-	Sufla
12-	Urea
13-	Polythene Sheet for Jalkhund (250μ)
14-	NPK
15-	Pyrethrum

निविदा हेतु शर्त्त :–

निविदादाता निविदा दो लिफाफे में सील बंद (मुहरबंद) जमा करना होगा। जिसमें तकनीकी एवं वित्तीय बीड अलग–अलग लिफाफे में स्पष्ट अक्षरों में अंकित करना होगा।

(क) तकनीकी बीड :–

(1) निविदादाता के साथ निविदादाता फर्म का निबंधित होने के प्रमाण–पत्र के लिए झारखण्ड राज्य, उद्योग विभाग का निबंधन प्रमाण–पत्र एवं वाणिज्य कर विभाग का GSTIN का निबंधन प्रमाण पत्र, आयकर, पेन कार्ड एवं अद्यतन स्वच्छता प्रमाण–पत्र (बिक्रीकर एवं वाणिज्यकर) की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

(2) निविदादाता को एक शपथ प्रमाण– पत्र देना होगा कि पूर्व में ससमय या गुणवत्ता पूर्ण सामग्री आपूर्त्ति नहीं करने के आरोप में किसी कार्यालयों/संस्थानों द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया है।

(3) निविदा के साथ अग्रधन के रूप में **10,000 (दस हजार) रूपये** का बैंक ड्राफ्ट उप विकास आयुक्त –सह– जिला कार्यक्रम समन्वयक, साहेबगंज के पदनाम से प्रतिभूति रकम के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा। आपूर्तिकर्त्ता/निविदादाता को नियमानुसार TDS की कटौती कर भुगतान की जायेगी।

(4) निविदादाता को निविदित सामग्रियों का ब्राण्ड एवं अन्य विशिष्टियों का उल्लेख करना आवश्यक होगा तथा उक्त से संबंधित कंपनी का सामग्री का नमूना आदि संलग्न करना होगा।

(5) सामग्री की आपूर्त्ति कार्य/योजना स्थल पर करना होगा। परिवहन व्यय आदि के लिए कोई अतिरिक्त राशि देय नहीं होगा। प्रस्तावित दरें समस्त करों सहित होगी।

(ख) वित्तीय बीड :–

(1) उपर वर्णित सामग्रियों का प्रति अदद् सभी कर (GST एवं पेशाकर प्रमाण पत्र) सहित एवं रहित दोनों मूल्य कम्प्यूटर द्वारा टंकित होना अनिवार्य है।

(2) वित्तीय बीड में वर्णित सामग्रियों का दर अंको एवं शब्दों में अंकित करना आवश्यक होगा। इसमें किसी भी प्रकार का कटिंग एवं ओवर राईटिंग स्वीकार नहीं होगा।

(3) असफल निविदादाता को दर निर्धारण के पश्चात उसी दिन उनके द्वारा जमा किया गया बैंक ड्रॉफ्ट वापस कर दिया जायेगा।

(4) निविदा में दिया गया दर (भाड़ा सहित) जिला कृषि पदाधिकारी, साहेबगंज द्वारा उपलब्ध कराये गये दर से कम या बराबर मान्य होगा। उक्त पर ही निविदादाता का निविदा स्वीकार किया जायेगा।

निविदा स्वीकृत होने पर तथा अन्य शर्त्ते :–

(1) आपूर्ति आदेश निर्गत होने की तिथि से दो सप्ताह के अन्दर सामग्री की आपूर्त्ति करना होगा, अन्यथा अग्रधन राशि जब्त कर लिया जायेगा।

(2) आपूर्ति की गई सामग्री की गुणवत्ता उत्तम Quality का होना चाहिए।

(3) निविदा को किसी समय अंशतः/पूर्णतः रद्द करने एवं इसके शर्त्तों में परिवर्तन करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित होगा।

(4) समस्त प्रकार के कानुनी कार्यवाही का क्षेत्राधिकार, साहेबगंज जिला न्यायालय होगा।

(5) निविदाकर्त्ता या उनके प्रतिनिधि निविदा खोलने के समय नियत स्थान पर उपस्थिति अनिवार्य है।

8/8/17

उप विकास आयुक्त–सह–
जिला कार्यक्रम समन्वयक,
साहेबगज।

D:\DRDA\OFFICE WORK\Advertisement Tender Notice Bagwani.doc